PCS Mantra · pcsmantra.in

महाराष्ट्र की वी. राधा समिति: परीक्षा सुधारों में दंड के साथ सुरक्षा और शुल्क भी

25 नवंबर 2026 · PCSMANTRA टीम



मौलिक सांकेतिक चित्र

खबरों में क्यों

महाराष्ट्र सरकार के महासंवाद पोर्टल की विज्ञप्ति के अनुसार वी. राधा समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 23 नवंबर को सरकार को सौंपी। समिति 4 सितंबर 2026 के शासन निर्णय से बनी थी। पहली रिपोर्ट 4 नवंबर को दी गई थी और कुल चार चरणों में रिपोर्ट देने का कार्यक्रम है। [1]

कठोर दंड का प्रस्ताव

महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 (महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी अधिनियम) में संशोधन की सिफारिश करते हुए समिति ने संगठित परीक्षा अनियमितताओं में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए 7–10 वर्ष की कैद, न्यूनतम ₹10 करोड़ जुर्माना, नुकसान की वसूली और संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव रखा है। यह हर अभ्यर्थी पर एक जैसा दंड नहीं है। विज्ञप्ति अलग अपराध-श्रेणियों के लिए अलग दंड प्रस्ताव बताती है। [1]

अनुचित साधन इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए 5–10 वर्ष की कैद तथा ₹50 लाख तक जुर्माने का प्रस्ताव है। अनियमितताओं में सहभागी सेवा-प्रदाता संस्था के लिए ₹5 करोड़ तक जुर्माना, परीक्षा-खर्च की वसूली और 8 वर्ष का प्रतिबंध प्रस्तावित है। ये समिति के प्रस्ताव हैं, लागू नया कानून नहीं। [1]

जाँच और परीक्षा-संचालन

समिति ने गंभीर अपराधों के लिए विशेष कार्य बल, विशेष त्वरित अदालतें और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जाँच की सिफारिश की है। पुराने लंबित मामलों को विशेष अदालतों में भेजकर तीन माह में निपटाने का सुझाव है। [1]

जिलावार परीक्षा-केंद्र बैंक, जिलाधिकारी के नियंत्रण में स्थायी परीक्षा शाखा तथा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC), जिले और परीक्षा-केंद्र के स्तर पर नियंत्रण केंद्र प्रस्तावित हैं। साइबर सुरक्षा कक्ष, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी और बाहरी संस्थाओं के सिस्टम तक लागू एकीकृत सुरक्षा नीति भी सुझाई गई है। [1]

अभ्यर्थी-हित की सही व्याख्या

समिति ने MPSC परीक्षा में उपस्थित होकर परीक्षा देने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पूरा परीक्षा-शुल्क लौटाने पर MPSC द्वारा विचार करने की सिफारिश की है। उत्तर-कुंजी पर आपत्ति सही मान ली जाए तो उसकी आपत्ति-फीस लौटाने का अलग सुझाव भी है। [1]

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

दंड की कठोरता के साथ पकड़े जाने की क्षमता, सुरक्षित संचालन और समयबद्ध प्रक्रिया पर भी ध्यान चाहिए। सिफारिशों में दंड, जाँच, परीक्षा-केंद्र और नियंत्रण व्यवस्था, साइबर सुरक्षा तथा शुल्क-वापसी शामिल हैं। अभ्यर्थियों के खर्च, निजी जानकारी की सुरक्षा और नियमित परीक्षा कैलेंडर को भी भर्ती में भरोसे से जोड़ा जा सकता है।

प्रिलिम्स अभ्यास

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: उत्तर-कुंजी पर आपत्ति स्वीकार होने पर उसकी आपत्ति-फीस लौटाना सुझाया गया है।

कथन 2: न्यूनतम ₹10 करोड़ जुर्माने की सिफारिश संगठित परीक्षा अनियमितताओं की श्रेणी से संबंधित है।

कथन 3: MPSC परीक्षा में उपस्थित होकर परीक्षा देने वालों को पूरा परीक्षा-शुल्क लौटाने की सिफारिश केवल सफल अभ्यर्थियों तक सीमित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है: उत्तर-कुंजी पर आपत्ति स्वीकार होने पर उसकी आपत्ति-फीस लौटाने का सुझाव है।

कथन 2 सही है: न्यूनतम ₹10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव संगठित परीक्षा अनियमितताओं की श्रेणी के लिए है, हर अभ्यर्थी के लिए नहीं।

कथन 3 गलत है: पूरा परीक्षा-शुल्क लौटाने पर विचार करने की सिफारिश परीक्षा में उपस्थित होकर परीक्षा देने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए है, केवल सफल अभ्यर्थियों के लिए नहीं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास

भर्ती परीक्षाओं में भरोसा बहाल करने के लिए कठोर दंड के साथ कौन-से संस्थागत सुधार चाहिए? (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

- **भूमिका में:** निष्पक्ष भर्ती और सार्वजनिक भरोसे का संबंध बताएँ।
- **मुख्य भाग में:** सुरक्षा, जवाबदेही, वरिष्ठ जाँच, साइबर व्यवस्था, शुल्क तथा कैलेंडर जोड़ें।
- **निष्कर्ष में:** लागू करने योग्य नियम और नियमित स्वतंत्र मूल्यांकन पर जोर दें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

परीक्षा-शुल्क लौटाने के बारे में क्या सिफारिश है? समिति ने MPSC परीक्षा में उपस्थित होकर परीक्षा देने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पूरा परीक्षा-शुल्क लौटाने पर MPSC द्वारा विचार करने की सिफारिश की है।

समिति कौन-सी है और रिपोर्ट कब सौंपी गई? यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए गठित वी. राधा की उच्चस्तरीय समिति है। इसकी दूसरी रिपोर्ट 23 नवंबर 2026 को सरकार को सौंपी गई।

क्या 7–10 वर्ष और ₹10 करोड़ वाला प्रावधान लागू नया कानून है? यह समिति की सिफारिश है। इसे नया लागू कानून नहीं कहा गया है।

स्रोत: 1. https://mahasamvad.in/222843/
